प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./2013–14/01/ दिनांकः २५.02.2014

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अनतर्गत वर्ष 2013–14 की भारत सरकार को प्रेषित पी0आई0पी0 में प्रदेश के समस्त जनपदों के कुल 131 शहरों/कस्बों में 638 अरबन प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत 265 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने थे तथा 231 एन0आर0एच0एम0 पोषित अरबन हेल्थ पोस्ट एवं 142 राज्य बजट पोषित नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों को अरबन पी0एच0सी0 के रूप में स्थापित कर संचालित की जानी थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 की एन0यू0एच0एम0 आर0ओ0पी0 में प्रदेश में मात्र 83 शहरों/कस्बों हेतु एन0यू0एच0एम0 की गतिविधियां संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत 100 नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में स्थापित किये जाने है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व से संचालित 115 अरबन हेल्थ पोस्टों का सुदृढ़ीकरण कर अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है तथा जिला कार्ययोजना में प्रस्तावित सरकारी भवनों में संचालित 59 स्वास्थ्य इकाइयों की मरम्मत कराया जाना सम्मिलित है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.02.2014 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2013–14 की आर0ओ0पी0 का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 समाप्ति की ओर है तथा प्रदेश में आदर्श आचार संहिता शीघ्र लागू होने की संभावना है। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु किराये के भवनों का चिन्हीकरण कर ले तथा यह ध्यान रखा जाय कि भवन मलिन बस्ती क्षेत्र में हो या उसके नजदीक हो तथा उस क्षेत्र में पूर्व से कोई शहरी स्वास्थ्य इकाई संचालित न हो, जिससे सेवाओं से वंचित समुदाय को उनके घर के समीप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानक के अनुसार 50,000 की शहरी जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित करे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु किराये पर लिये जाने वाले भवनों में ओ0पी0डी0, टीकाकरण एवं काउन्सलिंग, इन्डोर वार्ड, औषधि स्टोर/वितरण कक्ष, पैथालॉजी जॉच कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रसव कक्ष, नर्सेस/ए0एन0एम0 ड्यूटी कक्ष, माइनर ओ0टी0, रोगी प्रतीक्षा कक्ष तथा स्टाफ एवं रोगी हेतु अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था हो। भवन में विद्युत एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो तथा एम्बुलेन्स आदि वाहनों के आने जाने का पर्याप्त रास्ता हो। नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु अधिकतम किराया रू0 15000/– प्रति माह से अधिक न हो। यथाशीघ्र किराये के भवन का नियमानुसार चिन्हीकरण कर ले।

महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प.क./एन.यू.एच.एम./पी.आई.पी.–आर.ओ.पी./2013–14/6644–76 दिनांक 24.02.2014 जो आपको पृष्ठांकित है का सन्दर्भ लेने का कष्ट जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों हेतु जनपदवार भौतिक एवं वित्तीय फॉट प्रेषित की गयी है। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के स्तर से अभी तक कोई भी

धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र के अनुसार भौतिक लक्ष्यों के दृष्टिगत रखते हुए गतिविधियां प्रारम्भ कर दे, किन्तु मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 के स्तर से धनराशि अवमुक्त तथा वित्तीय दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने से पूर्व किसी भी मद से कोई भी धनराशि व्यय न करे। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए आप पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./एन.यू.एच.एम./2013–14/01/5871-75-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

24/2/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक